



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052025-262957
CG-DL-E-08052025-262957

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1994]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 7, 2025/वैशाख 17, 1947

No. 1994]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 2025/VAISAKHA 17, 1947

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2025

का.आ. 2039(अ).— केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, इस अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए, केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति के नामांकन को, एतद्वारा, अधिसूचित करती है:

क्र.सं.	नाम और पदनाम	अधिनियम की धारा
1.	डा. के श्रीनिवासुलु, आईएएस निदेशक, बागवानी और रेशम उत्पादन, आंध्र प्रदेश सरकार	आंध्र प्रदेश सरकार की अनुशंसा पर अधिनियम की धारा 4(3)(छ.) के तहत नामित

[फा. सं. 25011/02/2025-सिल्क]

पदमिनी सिंगला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2025

S.O. 2039(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby notifies the nomination of following person to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification subject to the provisions of the Act:

S. No.	Name and designation	Section of the Act
1	Dr. K. Sreenivasulu, IAS, Director of Horticulture & Sericulture, Govt. of Andhra Pradesh	Nominated on the recommendation of Govt. of Andhra Pradesh under Section 4(3) (g) of the Act.

[F. No. 25011/02/2025-Silk]

PADMINI SINGLA, Jt. Secy.